

1323

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (राज.)

(चौकसीन अधिकारी) प्रागिन सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल कपासन

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1043

दापर दिनांक 01/01/25

निर्णय दिनांक 02/10/25



| क्र.सं. | नाम-प्राण | खान | रिपोर्ट | कायलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश | |
|---------|-----------|-----|---|---|---|
| 1 | राज | 70 | गहोदय जी, निवेदन है कि मुलाविक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है। वर्तमान प्रविष्टी स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर | शुद्ध प्रविष्टी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया | कायलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश तहसीलदार कपासन की अनुशंका स्वीकार की जाकर राज. भू. रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>कपासन</u> प.ह. <u>कपासन</u> खालास <u>70</u> में वर्तमान प्रविष्टी स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दखानद किये जाने का आदेश दिया जाता है। |
| | | | हस्ताक्षर-पटवारी 01/01/25 पटवारी | हस्ताक्षर-निराकार 01/01/25 पटवारी | |

प्रतिनिधि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार भण्डल

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकाड में अमलदखानद करें।

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चितौड़गढ़

तहसीलदार कपासन
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील कपासन जिला-चितौड़गढ़